(viii) श्री के.ए. प्रभाकर राव. विधि सचिव अरूणाचल प्रदेश सरकार।

5.1.1996 को आयोजित, उच्च स्तरीय ग्रुप की पहली बैठक में ऐसी कार्रवाई जो इस समस्या के समाधान के लिए तुरन्त की जा सके, सुझाने के लिए अधिकारिक स्तर की एक उप समिति की स्थापना का निर्णय लिया गया था। उप-समिति की संरचना इस प्रकार से हैं:-

(i) श्री वी.के.जैन, वशिेष सचवि (आई.एस.पी.) गृह मंत्रालय।

(ii) श्री अरविंद वर्मा, विशेष सचिव (सी.एस.) गृह मंत्रालय।

(iii) डा.एस. सी. जैन, संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार, विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय।

(iv) श्री डी.सी. मिश्रा, मुख्य सचिव, अरूणाचल प्रदेश सरकार।

(v) श्री डी.सी. सांखला, गृह आयुक्त अरूणाचल प्रदेश सरकार।

(vi) श्री के.ए. प्रभाकर राव, विधि सचिव अरूणाचल प्रदेश सरकार।

दिनांक 9.1.1996 के अपने आदेश में उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया कि राज्य के अंदर रह रहे प्रत्येक चकमा के जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाए और कि, कानून के अनुसार उठाए गए किसी कदम के अलावा, चकमाओं को उनके घरो से निकाला नहीं जाएगा।

राज्य सरकार को सूचित किया गया हैं कि उक्त उच्च स्तरीय ग्रुप और उप-समिजि अपना काम जारी रख सकती हैं परन्तु यह काम, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए, न कि उसके उल्लंघन स्वरूप राज्य सरकार से उप-समिति का काम जिसमें राज्य का एक दौरा भी शामिल हैं, जारी रखे जाने में उनकी सुविधा के बारे में पूछा गया हैं।

BIDS for Basic Telecom Service in Maharashtra

583. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of COMMUNICATION be pleased to state:

(a) the details of the dispute about the bids in Maharashtra for the basic telecom tender;

(b) what was the approach of the TEC in tender evaluation for this State, what were the allocation of points for different parameters allotted by the TEC to each bidder; and

(c) the revised considerations adopted by the Chairman, Telecom Commission and Member, Finance, subsequently accepted by Government and what were the different parameters allotted by them?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) One of the bidders, M/s. Tata Tele Services Ltd. has filed a petition in the Bombay High Court challenging the validity of the decision to award the licence to another bidder, i.e. M/s. Hughes Ispat Ltd. The case is still sub-judice.

(b) TEC calculated the marks far DELs (Direct Exchange Lines) on the basis of projection for three years while marks for Village PTs (VPTs) as a percentage of DELs were awarded for the first year only.

(c) While considering the TEC report, Chairman, Telecom Commission and Member (Finance), decided that marks for DELs and for VPTs as a percentage of DELs should be calculated on same time scale of three years. This resulted in change of marks allotted to each bidder.

Misuse of Power by Sub-Postmaster in Punjab

584. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation from the agents of small savings schemes, viz. PPF, NSC, NSS, KVIP etc. against the alleged misuse of power, corruption, harrasment and misbehaviour of Sub-Postmaster of Sector 59, Phase V, SAS Nagar (Mohali), District Ropar (Punjab) particularly towards the women agents engaged in the promotional business of the above small saving schemes;

(b) if so, the details thereof; and whether Government have made any enquiry into the allegations and if so, the results thereof; and

(c) the action Government have so far taken or propose to take in the matter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Yes, Sir, complaints were received from the agents of small saving schemes against the Sub-Postmaster, Sector 59 Phase, V, SAS Nagar (Mohali) District Ropar (Punjab);

(b) Enquiries made against the complaints confirmed the non-cooperative attitude and procedural irregularities committed by the Sub-Postmaster;

(c) Disciplinary action has since been initiated against the Sub-Postmaster.

Handing over Petroleum Project to Foreign Company

585. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that exploration of crude oil at Kharsang Oil field in Arunachal Pradesh is being transferred to a foreign company namely. Jeo Eupro Pvt. Ltd. which was originally explored by Oil India Ltd; and

(b) if so, when was the MOU signed between the two companies and reasons for handing over the project to a foreign company?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) and (b) A production sharing contract for the development of the medium sized discovered Oil and Gas field, Kharsang, in Arunachal Pradesh, was signed between the Government of India/Oil India Limited and the consortium comprising M/s. Geo Enpro Petroleum Limited, Enpro India Limited and Geo-Petrol International Inc., Panama on 16th June, 1995. It is envisaged that the consortium will bring in improved technology for augmenting the production of crude oil from this field.

गुजरात में टेलीफोन कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची

586. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या गुजरात में टेलीफोन कनेक्शनों की मांग और आबंटन के बीच भारी अंतर हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य में आज की तारीख तक प्रतीक्षा सूची का जिला-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ग) 31 दिसम्बर, 1994 तक जिला-वार और श्रेणी-वार कितने व्यक्तियों को टेलीफोन दिए जा चुके हैं; और

(घ) सरकार द्वारा शेष आवेदकों को उनकी मांग के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) 31.1.96 की स्थिति के अनुसार, गुजरात की प्रतीक्षा सूची के जिलावार और श्रेणीवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये है। (**नीचे देखिये**)

(ग) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रखा जाएगी।

(घ) विभाग ने 1995-96 के दौरान, गुजरात में 163000 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई हैं। इससे 31 मार्च, 1995 तक की अधिकांश प्रतीक्षा-सूची को 31 मार्च, 1996 तक निपटाए जाने की संभावना हैं। शेष आवेदकों को 1996-97 के दौरान उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावना हैं। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में, गुजरात सहित सारे देश में 1997 तक, मांग पर टेलीफोन प्रदान करने की परिकल्पना की गई हैं। इस दिशा में दूरसंचार विभाग के प्रयासों में सहयोग हेतु निजी क्षेत्र की सहायता भी ली जा रही हैं।

विवरण

गुजरात राज्य में, 31.1.96 की स्थिति के अनुसार, प्रतीक्षा सूची के जिलावार और श्रेणीवार ब्यौरे।

क्र.स.	जिले का नाम	ओवाई टी	सामान्य	विशेष	कुल
1.	गांधीनगर सहित अहमदाबाद	1048	37423	2630	41101
2.	बड़ौदा	37	21515	583	22135
3.	राजकोट	70	14995	52	15117
4.	सूरत	1800	41364	659	43823
5.	नडियाड	78	8710	18	8806
6.	मेहसाणा	96	11049	29	11174